

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग


अधिसूचना

पटना दिनांक- 21/9/19

संख्या:-05/स्था0-01-58/2018 6523 /जिला पदाधिकारी, दरभंगा के आदेश ज्ञापांक-3323, दिनांक-05.08.2019 द्वारा श्री बीरेन्द्र प्रसाद, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा दिये गये उक्त आदेश को सम्पुष्ट किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री प्रसाद को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(शैलेंद्र नाथ)

सरकार के उप सचिव  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ई0-मेल ज्ञापांक-05/स्था0-01-58/2018

6523

/पटना दिनांक- 21/9/19

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा/मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, दरभंगा/श्री बीरेन्द्र प्रसाद, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव


ज्ञापांक-05/स्था0-01-58/2018

6523

/पटना दिनांक-

21/9/19

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव